

आन्तरिक डिक्री

162/22

धारा अंतर्गत

53, 188 RTA

निर्णय दिनांक 26.10.23

श्री दीपक मिश्रल आर. ए. एफ. उपखण्ड अधिकारी बारा

अभिभाषक वादी श्री अजित कुमार बघेलवाल

अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

राजेश कुमार शर्मा पुत्र गोविन्दलाल जाई ब्राह्मण ठिकारी श्रीजी चौक बारा तहसील बारा

- 1- गोविंदराम पुत्र केवलाल जाई जांगिड ठिकारी बारा तहसील बारा
- 2- गोविंदराम पुत्र मांगीलाल जाई जांगिड ठिकारी बारा तहसील बारा
- 3- गोपाल पुत्र नेनगा जाई जांगिड ठिकारी बारा तहसील बारा
- 4- गोवरीलाल पुत्र नेनगा जाई जांगिड ठिकारी बारा तहसील बारा
- 5- नन्दलाल पुत्र मांगीलाल जाई जांगिड ठिकारी बारा तहसील बारा
- 6- माधो पुत्र श्री बरखु जाई जांगिड ठिकारी बारा तहसील बारा
- 7- राजेश कुमार शर्मा तहसील बारा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुदाविक विभाजन उत्तरा आदर ठिकारी काराजी का पक्षकारा के मध्य पक्ष-पक्ष विभाजन विभाजित किया जाय

नाम खोला	ख.नं.	रकबा	मूल्य
1- राजेश कुमार शर्मा पुत्र गोविन्दलाल जाई ब्राह्मण ठिकारी श्रीजी चौक बारा	19 उत्तरी	0.35	5.25
2- गोविंदराम पुत्र केवलाल हि. 1/6, गोविंदराम पुत्र मांगीलाल हि. 1/6, गोपाल पुत्र नेनगा हि. 1/6, गोवरीलाल पुत्र नेनगा हि. 1/6, नन्दलाल पुत्र मांगीलाल हि. 1/6, माधो पुत्र बरखु हि. 1/6 जांगियान जांगिड सा.बारा	19 दक्षिणी	2.15	32.25

उपरोक्त ठिकारी काराजी का पक्षकारा के मध्य पक्ष-पक्ष विभाजन किया जाना राजस रिकार्ड में काल डामर करि हे तहसील बारा को आदेशित किया जाय

साथ ही नियमानुसार रु० का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.10.23 को निर्गत किया गया।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारा

व्ययानुतोष		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		